

500 court order

28/11/17

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
~~उपस्थित~~ बनाम मोदी

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

12/1/18 - पत्रावली पेश हुई कि...  
उपस्थित प्रतिवादी सं. 05 की...  
देखी गई तात्पर्य...  
उत्पत्ती सं. 5 के...  
नहीं आये। उत्पत्ती सं. 5...  
रहते एकरूपता...  
दिखा जाता है। साथ ही...  
बंद किया जाता है। पत्रावली...  
वाले सार्विक नदी...  
7/5/18 को पेश हो।

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

25/1/18 पत्रावली पेश हुई।  
वकीलगरी। वकील...  
हेतु...  
कारण...  
के...  
के...

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेड़ा

पत्रावली मुकाम चंडाला (न) शर 2...  
लोक अदालत...  
वादिता उपरिपंत...  
असाभा प्रकरण लोक अदालत...  
भावना...  
वादिता द्वारा वादपत्र में...

तारीख  
हुक्म

न्यायालय उपखंड अधिकारी

पैन सहायक कलक्टर या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
वरीक (भीलवाड़ा)

क्र. 199/17

916

को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद  
ग्रस्त भूमि ग्राम केरु खेड़ा तहसील  
करड़ा स्थित खतोनी संख्या 88  
मुलाबिक जमाबंदी सं. 2069-72 के  
अनुसार कुल किला 08 कुल रसका  
14.18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या  
1 व 2 के नाम रसका रेकर्ड में  
असिलिखित है।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को अलग  
वाद ग्रस्त भूमि खादिमा के दादा  
देवा गुजरि की विशाल से डाक है।  
देवा जी के भोजा जी, बिरधारी जी  
तथा श्रीराम तीन पुत्र हैं जिनके में  
श्रीराम लाओलाद जाते हैं जिन  
के वादग्रस्त 14.18 बीघा भूमि बिरधारी  
भोजा के नाम पर कुल 1 1/2  
इंच रेकर्ड कर दी गई। चूंकि वादग्रस्त  
14.18 बीघा भूमि पुश्तानी दान से  
उनके दादा देवा गुजरि की कृपा के  
पश्चात् वादिमा भी मुलाबिक वादग्रस्त  
भोजा के नाम से एक हिस्से के  
की पात्रता रखती है मजबूत आशयों के  
में परेशार सरकार द्वारा निवेदन किया  
गया कि वादिमा का कथन कि वादग्रस्त  
तथा दादा गया अनुचित उचित नहीं  
होता है।

पर  
को  
की  
जा

न्यायालय उ  
पर्वत सहा हुक्म यु  
करी कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
करीडा (भारतवादी)

क्र. 199/17

वाद

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिबंध  
पेश नहीं किया।  
अन्य पक्षों का तथा पक्षों पर  
उपलब्ध वाद पत्र, वाद पत्र की तारीखें,  
प्रस्तुत शपथ पत्र, तथा रजिस्ट्रार अखिलेश्वर  
जिन वादों के विवेकन तथा पेशों का  
सरकार द्वारा प्रस्तुत तालिका  
जानकारी पर जोर दिया। यह विविध  
तथ्यों कि वाद प्रस्ताव 14.18 की धारा  
अभि वादों के दादा देवा पुत्र  
हरिज के नाम दर्ज रेकर्ड रहे हैं।  
जिसकी प्रति संवत् 2002 में जमा की  
की होती है। वाद प्रस्ताव आरा जियाल  
संयुक्त हिन्दू अभिगण पक्षों की  
संपत्ति है। जो पुत्रों की दोन से दादा  
देवा की मृत्यु के पश्चात् पौत्री प्रेमी  
देवी की मुवाकिले वाद पत्र एक-दिल्ली  
दिना जना न्यायस्थान है।

अतः मोजा मिला देवा के नाम  
वाद प्रस्ताव अभि में 1/2 हिस्से के प्रेमी  
पुत्री मोजा उज्ज्वल - वादों का 1/8  
एक हिस्से का खातेदार काश्तकार कार्य  
विस्तारों पर वादों का वाद पत्र एक-दिल्ली  
वादों विस्तार प्रतिवादी संख्या 01  
स्वीकार किए जाने की घोषणा के  
साथ आला मी उदान की जाती है।

तारीख  
हुक्म

न्यायालय उपखंड अधिकारी  
पदेन सहायक फल्टर या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
कोर्ट (भीलवाड़ा)


७०३ १९९/१७

वाद

: आदेश :

आदिमा का वाद पत्र लखनवादिमा  
निरन्त उतिवाही शेरण्या ०। स्वीकार किए  
जाने तथा खातेदार का प्रकार धारण  
किये जाने से भोजा केरा खेडा नक्षीन  
करेडा स्थित श्वतोनी शेरण्या ८८ कुल मित्त  
८ कुल रक्या १५.१८ में से उतिवाही शेरण्या  
०। के एक दिखने के साथ वादिमा के एक  
दिखने मुताबिक  $\frac{1}{8}$  दिखना श्वतोनी शेरण्या  
में उतिवाही ०। के साथ <sup>नवमान सिमावही</sup> देजे रकडे किए  
जाने की आज्ञा उदान की जाती है।  
पालनाप नक्षीलदार करेडा को लिखा  
जाने तथा कुसार डिडी सुनिव है।  
पुजावली दर्ज रजिस्टर से कमे की जानकारी  
लेना सुमार है।

निम्न अरे ईजालर सुनाया गया।

  
उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक फल्टर करेडा

मूलवाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..... करुण .....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- रजनी बाबावाल

प्रेम कुंजी सोजा गुजर <sup>उनवान</sup> बनाम सोना मोटा देवा गुजर

खा बाबत U/S 88, 89, 53, 188 R.T.A.

कदमा नम्बर :- 199/17

निर्णय दिनांक :- 20-06-18

वादी की ओर से करुण की व प्रतिवादी की ओर से प्रेम

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20-06-18 को रजनी बाबावाल नाम पीठासीन अधिकारी )

उपखण्ड अधिकारी करुण के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया

जाता है और डिक्री दी जाती है कि- वादी का वाद एक वादिता बिना उतिवादी

सेरमा 01 रजनी बाबावाल और सोना मोटा देवा गुजर का 20/18

स्थापित किए जाने से सोजा के रजनी बाबावाल का 20/18 स्थित रजनी

के. 88 मुल मिला 8 मुल रजनी 14.18 की धारा में उतिवादी सेरमा

01 के एक हिस्से के साथ वादिता के एक हिस्से मुलाबिक 1/8 हिस्सा

रजनी बाबावाल को उतिवादी सेरमा 01 के साथ कमान जमाके

के रजनी बाबावाल और सोना मोटा देवा गुजर की जानी है

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20-06-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

\* बाबावाल गुजर पर अंकित है

करुण  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर  
पदेन सहायक कलक्टर करुण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

अनवा-ग.

जीमती प्रेम कुंजी मोजा उज्वरि दादा  
उज्वरि नि. मेरा खेडा लह करडा

— वादी

अनाम

- 1. मोजा मिला देवा उज्वरि
- 2. गिरधारी मिला देवा उज्वरि
- 3. नारायण मिला मोजा उज्वरि
- 4. मुं लहरी कुंजी मोजा उज्वरि
- 5. असाध राजा उज्वरि के राजा
- 6. राजस्थान राजा गरि लहरी ल पर
- 7. राजस्थान राजा गरि उपपंजीमरु कर

— प्रतिवादी